प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग

- **प्रभाग के सृजन का मुख्य उद्देश्य:-**

प्रभाग के सृजन का मुख्य उद्देश्य प्रदेश की विभिन्न विकास प्रायोजनाओं हेतु पूंजी विनियोग के प्रस्तावों की वित्तीय साध्यता, तकनीकी सम्भाव्यता तथा आर्थिक एवं सामाजिक लाभप्रदता का मूल्यांकन एवं परीक्षण किया जाता है।

प्रभाग का संगठात्मक ढांचा:-

निदेशक

↓

संयुक्त निदेशक

↓

वरिष्ठ शोध अधिकारी/ शोध अधिकारी

↓

अपर सॉख्यिकीय अधिकारी/ शोध सहायक ¼अभियंत्रण)

↓

सहायक सांख्यिकीय अधिकारी

↓

वैयक्तिक सहायक/ आशुलिपिक /वरिष्ठ सहायक/कनिष्ठ सहायक

↓

वाहन चालक/साइक्लोस्टाइल आपरेटरचालक/अर्दली/चपरासी

प्रभाग का कार्यक्षेत्र:-

- विभिन्न विकास विभागों से प्राप्त प्रायोजना प्रसतावों/ आगणनों का परीक्षण रू0 5.00 से रू0 25.00 करोड़ तक प्रभाग द्वारा एवं रू0 25.00 करोड़ से अधिक प्रभाग द्वारा प्रमुख सचिव, वित्त की अध्यक्षता में गठित व्यय वित्त समिति द्वारा किया जाता है।
- पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड (पी0आई0बी0) का मुख्य कार्य प्रदेश के सार्वजनिक क्षेत्र में किये जाने वाले रू0 5.00 करोड़ से अधिक के प्रस्तावों का परीक्षण कर अपनी संस्तुति मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में गठित पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड एवं उसकी स्थाई समितियों को अनुमोदन/ अस्वीकृति हेतु अपनी संस्तुति देना है।

प्रभाग के अधिकारियो द्वारा किये जाने वाले कार्य:-

विभिन्न विकास विभागों से प्राप्त प्रायोजना प्रस्तावों/आगणनों का परीक्षण वरिष्ठ शोध अधिकारी/शोध अधिकारी/अपर साँख्यिकीय अधिकारी द्वारा करने के उपरान्त संयुक्त निदेशक के माध्यम से निदेशक महोदय को प्रस्तुत किया जाता है एवं आवश्यकतानुसार प्रमुख सचिव, वित्त की अध्यक्षता में गठित व्यय वित्त समिति तथा मुख्य सचिव, उ० प्र० शासन कि अध्यक्षता में गठित पब्लिक इन्वेस्टमेन्ट बोर्ड एवं उसकी स्थाई समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।